राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(65)नविवि/3/2004 पार्ट जयपुर, दिनांक 17 MAY 2018

परिपत्र

विभाग द्वारा समय–समय पर यह तथ्य नोट किया गया है कि एकल पट्टा जारी किये जाने के पश्चात एक से अधिक भूखण्डों मय सडक इत्यादि का ले–आउट प्लान का अनुमोदन हेतु स्पष्ट आदेश नही होने के कारण प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पा रहा हैं एवं ऐसे प्रकरणों हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 10(65)नविवि/3/04 दिनांक 19.02.2010 के तहत् उप विभाजन हेतु प्रेषित किये जाते रहे है। आदेश 19.02.2010 में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नियमन पश्चात जारी एकल पट्टे के भूखण्ड का ले–आउट प्लान का अनुमोदन किन मानदण्डों के तहत् किया जावेः इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश नही होने के कारण इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण नही हो पा रहा है।

अतः उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

''कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पश्चात राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधान संख्या 4.03 (i) के तहत् एकल पट्टा जारी किये जाने के पश्चात् भूखण्ड पर एक से अधिक भूखण्डों मय सडक इत्यादि का ले–आउट प्लान प्रस्तावित किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में ले–आउट प्लान का अनुमोदन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 (Above 10 Ha.) के प्रावधान संख्या 5.0 (Table-B) अथवा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 (Upto 10 Ha.) के प्रावधान संख्या–4.0 (Table-A) के तहत् मानदण्डों एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों द्वारा दिये गये निर्देशें को समायोजित करते हुये किया जावेगा।

ले–आउट प्लान में आन्तरिक विकास हेतु मानदण्डों एवं नियमों की पालना राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधान के तहत् सुनिश्चित किया जाना होगा। नियमानुसार उप विभाजन शुल्क एवं अन्य देय शुल्क जमा कराये जाने होंगे।''

राज्यपाल की आज्ञा से,

17/5/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ट उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
9. रक्षित पत्रावली।

12/7/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम